सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 61 / 2017 अपील (RCMS-00122/2017)
पंजीयन दिनांक – 13.06.2017
निर्णय दिनांक – 04.06.2018

1. श्रीमती सुशीला पत्नि श्री अरूण कुमार आचार्य, निवासी आई–122, आजाद नगर, भीलवाड़ा

– अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, उदयपुर जरीये प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव।
2. श्रीमती सुमन पत्नि श्री विरेन्द्र कुमार जैन, निवासी मीरा नगर, पुराने आरटीओ के सामने, ढीकली रोड़, उदयपुर।
3. श्री गोपाल पिता श्री जगदीश त्रिपाठी, निवासी ए–8, हिरणमगरी, सेक्टर न. 14, उदयपुर।
4. श्री सुभाष पिता श्री जगदीश प्रसाद, निवासी ए–8, हिरणमगरी, सेक्टर न. 14, उदयपुर।
5. डॉ. इला पत्नि श्री सुनिल कुमार सिंघवी, निवासी सिंघवियों की पोल, जड़ियों की ओल, उदयपुर।
6. श्रीमती अरूणा पुत्री श्री एस.पी.पाठक, राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज, उदयपुर।
7. श्री शान्तिलाल पिता स्व. श्री गमेरलाल जैन, निवासी सविना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:–
1. श्री एन.एस.चुण्डावत – वकील रेस्पोंडेन्ट–1
2. श्री कमलेश चौहान – वकील रेस्पोंडेन्ट–7

अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर क्रमांक नियमन/नविप्र/2003/203 से 206 दिनांक 16.07.2013

निर्णय

दिनांक 04.06.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90–बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर क्रमांक नियमन/नविप्र/2003/203 से 206 दिनांक 16.07.2013 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सवीना के खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 639 किता 8 रकबा 0.8950 हैक्टेयर भूमि में से खसरा नम्बर 639 की 0.1800 हेक्टेयर भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। खातेदारों ने उक्त भूमि धारा 90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत समर्पण/नियमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को आवेदन किया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत कार्यवाही उपरान्त धारा 90 बी के अन्तर्गत अपीलाधीन पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 16.07.2013 पारित किया। उक्त पुर्नग्रहण आदेश से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 व 7 उपस्थित। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित होकर लिखित बहस पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। वकील अपीलान्ट की लिखित बहस अप्राप्त। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 व 7 की एक तरफा बहस दिनांक 14.05.2018 को सूनी गई।

अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में बताया कि अपीलान्ट उपरोक्त आराजीयात में से आराजी संख्या 639 रकबा 0.1800 हैक्टेयर का 1/6वां हिस्सें को दिनांक 20.01.2018 को क्रय किया गया जिसका विधिवत राजस्व रेकार्ड में हिस्सा दर्ज किया गया। अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारों द्वारा विक्रय पत्र निष्पादन करने के समय ही उक्त संयुक्त आराजी का मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार अलग–अलग मौके पर काबिज हो गये। अपीलान्ट एवं सभी अपने हिस्से अनुसार काबिज हो लगातार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त शामलाती भूमि में रेस्पोडेंटगण ने मिलीभगत कर अपीलान्ट के हक व हिस्से को समाप्त करने कि गरज से रेस्पोडेंट संख्या 1 से आपसी मिली

भगत कर कुछ खातेदारों द्वारा भू–रूपान्तरण हेतु आवेदन किया एवं बिना अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारों के समर्पण के मनमर्जी विधिक प्रक्रिया से परे जाकर एक स्थानीय दैनिक अखबार जो की आम प्रचलन में भी नहीं है। उक्त अखबार में आम सूचना प्रकाशित करा आनन फानन में 90बी की कार्यवाही कर दी। जबकि उक्त रूपान्तरण की कार्यवाही के पूर्व न तो सभी खातेदारों द्वारा कोई आवेदन किया गया था और न ही उक्त भूमि का किसी प्रकार से अकृषि कार्य में उपयोग उपभोग किया जा रहा था। फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा मिलिभगत कर 90बी के आदेश पारित कर दिये जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध हो जिसे निरस्त कराया जाना न्यायोचित है। बिना मौके पर जांच किये मात्र रेस्पोडेंटगण से मिलिभगत कर आपसी अपंजीकृत फर्जी बटवाड़ानामा बनाकर उसके आधार पर अपनी मनमर्जी से नियमन कर भूरूपान्तरण कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेंटस्–1 व 7 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि जमाबन्दी के अनुसार दर्ज खातेदारों द्वारा 90–बी की कार्यवाही चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। आदेश जारी करने से पूर्व खातेदारों से आपत्तियॉ चाही गयी परन्तु किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसे विधि अनुकूल होना बताते हुए अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यास द्वारा राजस्व ग्राम सवीना के खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 639 किता 8 रकबा 0.8950 हैक्टेयर भूमि राज्य हित में पुनर्ग्रहण हेतु धारा 90–बी का नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित कर आपत्तियॉ चाही गई। परन्तु किसी ने किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। उप नगर नियोजक, न्यास ने भी उक्त भूमि को पुनर्ग्रहण योग्य बताया। रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा पुनर्ग्रहण आदेश से पूर्व अखबार में आपत्तियॉ आमंत्रित की गई थी, लेकिन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से नियमानुसार एवं विधि सम्मत आदेश जारी किया गया। आदेश खातेदारों/भूखण्डधारियों के द्वारा प्रस्तुत सर्मपण पत्र, ले–आउट प्लान एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन एवं परिक्षण उपरान्त पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2013 विधिसम्मत होना प्रतीत होता है, जिससे हम उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर